भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2654

09 जुलाई, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: पीएम-किसान योजना का विस्तार

2654. श्री नितेश गंगा देबः

श्री के. सुब्बारायणः

श्री एम. सेल्वराजः

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि किसानों के लिए सुनिश्चित आय सहायता योजना पीएम-किसान के दायरे में विस्तार किया गया है जिसमें उन सभी किसानों को शामिल किया गया है जिनके पास खुद की जमीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और योजना के अनुमानित लाभार्थी किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है और संभावित लाभार्थियों को चिन्हित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा पीएम-किसान योजना के तहत निश्चित आय सहायता योजना प्राप्त करने के लिए पांच एकड़ भूमि जोत की सीमा को हटाने के बाद लाभार्थी किसानों की संख्या में वृद्धि की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह लाभ मिलने के लिए किसानों की अद्यतन सूची प्रदान करने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि जिन किसानों के पास कोई जमीन नहीं है, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं; और

(च) यदि हां, तो देश में ऐसे किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है और क्या सरकार देश में ऐसे भूमिहीन किसानों की मदद के लिए एक योजना तैयार करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) से (घ): जी, हां। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) स्कीम देश भर के लगभग 12.5 करोड़ भू-जोत वाले लघु एवं सीमांत भू-धारक किसानों के परिवारों को आय सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई थी, ताकि उन्हें कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलापों के साथ-साथ घरेलू आवश्यकताओं से संबंधित व्यय की पूर्ति करने हेतु उन्हें समर्थ बनाया जा सके परंतु यह उच्चतर आय स्थिति से संबंधित कुछ अपवर्जन मानदंड (एक्सक्लूजन क्राइटेरिया) के अध्यधीन है। देश में सभी किसानों को कवर करने के लिए उनके भू-जोत के आकार पर ध्यान दिए बिना अब इस स्कीम के दायरे को बढ़ा दिया गया है, जो कतिपय सभी अन्य मौजूदा अपवर्जनाओं के अध्यधीन है। ऐसी संभावना है कि इसमें 2 करोड़ अतिरिक्त किसान कवर होंगे। कृषि संगणना 2015-16 के आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2018-19 के लिए प्रचालनात्मक जोतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार परिलक्षित संख्या को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार पात्र लाभार्थी किसानों को चिंहित करने तथा पीएम-किसान पोर्टल पर उनके आंकड़े अपलोड करने का पूरा उत्तरदायित्व केवल राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। जब संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किसानों के सही एवं सत्यापित आंकड़े पीएम-किसान वेब पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं तब इस स्कीम के तहत वित्तीय लाभ को चिंहित लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित कर दिया जाता है।

(ड.) एवं (च): खेती योग्य भूमि का स्वामित्व इस योजना का आधार है। भूमिहीन किसानों का सर्वेक्षण नही कराया गया है। अत: उनके सटीक आंकड़े उपलब्ध नही हैं। तथापि, कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार पूर्ण रूप से पट्टेदार प्रचालनात्मक जोतों की राज्य-वार संख्या को दर्शाने वाला विवरण उपलब्ध है। कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा चलाई गई विभिन्न स्कीमों का मुख्य उद्देश्य उनके स्वामित्व पर ध्यान दिए बिना खेती करने वाले को लाभ पहुंचाना है।

कृषि संगणना 2015-16 (अनंतिम) के अुनसार

प्रचालनात्मक जोतों की संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या ('000) में
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	12
2	आंध्र प्रदेश	8524
3	अरुणाचल प्रदेश	113
4	असम	2742
5	बिहार	16413
6	चंडीगढ़	1
7	छत्तीसगढ़	3960
8	दादर एवं नागर हवेली	15
9	दमन और दीव	8
10	दिल्ली	21
11	गोवा	56
12	गुजरात	5320
13	हरियाणा	1628
14	हिमाचल प्रदेश	996
15	जम्मू एवं कश्मीर	1417
16	झारखंड	2732
17	कर्नाटक	8677
18	केरल	7583
19	लक्षद्वीप	10
20	मध्य प्रदेश	10003
21	महाराष्ट्र	14707
22	मणिपुर	150
23	मेघालय	232
24	मिजोरम	90
25	नागालैंड	197
26	ओडिशा	4866
27	पुडुचेरी	34
28	पंजाब	1093
29	राजस्थान	7655
30	सिक्किम	68
31	तमिलनाडु	7938
32	तेलंगाना	5948
33	त्रिपुरा	573
34	उत्तर प्रदेश	23822
35	उत्तराखंड	881
36	पश्चिम बंगाल	7243
	कुल	**145727**

* झारखंड एवं महाराष्ट्र के आंकड़ों का अनुमान लगाया गया है।

कृषि संगणना 2010-11 के अनुसार पूर्ण प्रचालनात्मक जोतों की राज्य-वार अनुमानित संख्या		
क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रचालनात्मक जोतों की अनुमानित संख्या ('00)
		संख्या
1	आंध्र प्रदेश	328
2	अरुणाचल प्रदेश	0
3	असम	4
4	बिहार	22
5	छत्तीसगढ	9
6	गोवा	59
7	गुजरात	0
8	हरियाणा	नगण्य
9	हिमाचल प्रदेश	14
10	जम्मू एवं कश्मीर	6
11	झारखंड	7
12	कर्नाटक	0
13	केरल	48
14	मध्य प्रदेश	104
15	महाराष्ट्र	नगण्य
16	मणिपुर	50
17	मेघालय	0
18	मिजोरम	0
19	नागालैंड	3
20	ओडिशा	2193
21	पंजाब	19
22	राजस्थान	65
23	सिक्किम	9
24	तमिलनाडु	120
25	तेलंगाना	2014 में बनाया गया राज्य
26	त्रिपुरा	14
27	उत्तर प्रदेश	3036
28	उत्तराखंड	3
29	पश्चिम बंगाल	1124
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	नगण्य
31	चंडीगढ़	0
32	दादर एवं नागर हवेली	0
33	दमन और दीव	0
34	दिल्ली	0
35	लक्षद्वीप	0
36	पुडुचेरी	2
अखिल भारत		7239*

* पूर्णांक के कारण कुल का मिलान नही किया जा सकता।

*****